

राजस्थान आवासन मण्डल.: जयपुर.

क्रमांक :- 445

दिनांक :- 11.8.2020

कार्यालय आदेश


राजस्थान आवासन मण्डल की योजनाओं में विद्युतीकरण से सम्बन्धित कार्यों की उत्कृष्ट गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु एतद्वारा निर्देश जारी किये जाते हैं कि सिविल कार्यों की भांति विद्युतीकरण सम्बन्धी नवीन रूप से प्रारम्भ किये जाने वाले एवं प्रगतिधीन सभी कार्यों का तृतीय पक्ष निरीक्षण आवश्यक रूप से करवाया जावे। इसके साथ ही कार्यों की गुणवत्ता एवं कार्य सम्पादन के मध्येनजर, राशि रु. 25.00 लाख से अधिक के विद्युत कार्यों की निविदाएं टू-बिड प्रणाली (Single stage two envelopes) के अन्तर्गत आमन्त्रित की जावें।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभावी होंगे।

(^{SD} पवन शरोड़ा)
आवासन आयुक्त.

प्रतिलिपी सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-माननीय अध्यक्ष महोदय/आवासन आयुक्त, रा0आ0मं0, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, रा0आ0मं0, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, रा0आ0मं0, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा0आ0मं0, जयपुर/जोधपुर।
5. उप आवासन आयुक्त, रा0आ0मं0, वृत्त _____ (समस्त).
6. रक्षित पत्रावली।


आवासीय अभियन्ता (विद्युत).

DYK (H/O)
ALRE
17/8

PECJR

SD
21/08/2020